न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या–83/2026

सरकार प्रति अज्ञात

मुकदमा अपराध संख्या–16/2026

धारा–309(4) बी.एन.एस.

थाना तालग्राम जनपद कन्नौज।

दिनांक–10.03.2026

आवेदक **मो०फईम** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/वाहन का स्वामी व वादी है। प्रार्थी वाहन स्वामी की आटो जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या–UP76T0506 है जो पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा है। अतः आटो वाहन संख्या–UP76–T–0506 उसके पक्ष में अवमुक्त किये जाने कि याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

प्रार्थना पत्र के आलोक में संबंधित थाने से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि थाना हाजा में मुकदमा अपराध संख्या–16/2026 धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता में बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 23.02.2026 को आटो संख्या–UP76T0506 बरामद किया गया जो थाना हाजा पर खड़ा है।

वाहन आटो संख्या–UP76T0506 प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अभियोजन द्वारा उक्त वाहन की अवमुक्ति का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत वाहन आटो संख्या–UP76T0506 के आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में पंजीयन प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नगत वाहन आटो संख्या–UP76T0506 का वाहन स्वामी मोहम्मद फईम पुत्र पुत्र सन्नाउल्ला होना विदित होता है। आवेदक प्रश्नगत वाहन का प्रथम दृष्ट्या स्वामी प्रतीत होता है। वाहन थाने में निरुद्ध है। उसके वहाँ खड़े रहने से क्षति संभावित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुन्दर लाल अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(1) जे0 आई 0 सी0 615 सु0 को0** में अधीनस्थ न्यायालयों व परीक्षण न्यायालयों को दिशा निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी दाण्डिक अभियोग में सम्बन्धित माल मुकदमाती/सम्पत्ति की शीघ्र अति शीघ्र उसके वास्तविक स्वामी के पक्ष में मुक्त किया जाना चाहिए।

प्रश्नगत वाहन आटो संख्या–UP76T0506 का अन्य कोई दावेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में **वाहन आटो संख्या–UP76T0506** कुछ शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है। आवेदक **मो.फईम पुत्र सनाउल्ला** द्वारा **(1,00,000/–) रूपये** का **एक प्रतिभू एवं इतने ही धनराशि** का स्वबंधपत्र एवं इस आशय की अंडरटेकिंग कि–

1. वह दौरान वाद उक्त वाहन को अंतरित नहीं करेगा,

2. वह उक्त वाहन के रंग रूप, आकार एवं अन्य विवरणों में परिवर्तन नहीं लाएंगा,

3. आवश्यकता पर स्वयं के खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा,

4. विवेचनाधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में समक्ष रिलीज मेमो बनाकर व उसका रंगीन फोटो आवेदक के खर्चे में खिचवाकर, निर्मुक्त किया जाये तथा इस प्रकार बनाये मेमों व रंगीन फोटोग्राफ को विवेचना से सम्बन्धित प्रपत्रों में सम्मिलित रखा जाएगा।

दाखिल करने पर पुलिस द्वारा प्रश्नगत **वाहन आटो संख्या–UP76T0506,** अगर किसी अन्य अभियोग में वांछित न हो तो, आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। आवेदक प्रश्नगत माल सम्बन्धी प्रलेख की दो–दो प्रति पत्रावली पर दाखिल करें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद कन्नौज को भेजी जाए।

अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश,

(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या–1 जनपद कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 16:58:47 IST
Reason: APPLICATION DISPOSED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ